UG study material for students of History

Subject : History

Class : B.A. Part III (Honours)

Paper : VI (History of India : 1765-1950)

Topic : Land Revenue Policy of the East India Company : Mahalwari System
(ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भू-राजस्व नीति : महालवाड़ी व्यवस्था)

By : Dr. Rajiv Nayan

Associate Professor,

Dept. of History,

Jagjivan College, Ara
(V.K.S.U, Ara)

Email : rajivnayan03@gmail.com

Scanned by CamScanner

DATE

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भू-राजस्व नीति: महालवाड़ी व्यवस्था
(Land Revenue Policy of the East India Company: Mahalwari System)

महालवाड़ी भूमि-व्यवस्था अनेक प्रयोगों के पश्चात उत्तरी भारत के सत्तांतरित तथा विजित प्रांतों – आगरा, अवध इत्यादि क्षेत्र, मध्य प्रांत, दक्कन के कुछ जिलों एवं पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। स्थायी बन्दोबस्त तथा रैय्यतवाड़ी व्यवस्था के बाद ब्रिटिश भारत में लागू की जाने वाली यह भू-राजस्व की अगली व्यवस्था थी जो संपूर्ण भारत के 30% क्षेत्र में लागू थी। उत्तर-पश्चिमी प्रांत में पहले जमींदारी व्यवस्था स्थायी रूप से लागू किये जाने का निश्चय किया गया था। इसमें सत्तांतरित और विजित क्षेत्र शामिल थे। सत्तांतरित क्षेत्र वे थे जिन्हें अवध के नवाब वजीर ने कम्पनी को 1801 ई० की संधि के द्वारा सौंपा था। इसमें सात जिले थे – इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। सुरजी अर्जनगाँव की संधि के बाद सिन्धिया से जो क्षेत्र कम्पनी को प्राप्त हुए थे, उन्हें विजित प्रांत कहा गया।

महालवाड़ी भूमि-व्यवस्था के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम या महाल माना गया। गाँव की समस्त भूमि सम्मिलित रूप से सभा की मानी गयी जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। भूमिकर के लिये यही समूह उत्तरदायी माना गया। कई स्थानों पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी माना गया, किन्तु अधिकतर महालवाड़ी

Scanned by CamScanner

DATE

व्यवस्था सामूहिक रूप से गाँव या महाल के आधार पर लागू की गयी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भू-राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महाल के समस्त कृषक भू-स्वामियों के भू-राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गाँव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। इस पद्धति में लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था।

स्थानांतरित और विजित क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था को लागू करने हेतु पंचवर्षीय समझौता (1803 ई० से 1807 ई० तक) राजस्व बोर्ड के द्वारा किया गया। बाकी लगान संबंधी समझौते बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स द्वारा किये गये जिनकी नियुक्ति इसी कार्य के लिये की गयी थी।

विजित क्षेत्रों में स्थायी बन्दोबस्त को लागू करने के प्रश्न पर बंगाल सरकार तथा बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के बीच गहरा मतभेद था। इन क्षेत्रों में स्थायी व्यवस्था न लागू करने के बारे में कमिश्नर बोर्ड के तर्क महत्वपूर्ण थे। उनका विचार था कि इस क्षेत्र में पूँजी की बेहद कमी थी। यहाँ भूमि के विशाल क्षेत्र खाली पड़े थे जहाँ फसल उगाना आसान नहीं था। सरकार को यहाँ के भूधारण संबंधों और भूमि अधिकारों के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में इतना अधिक अंतर था कि समान लगान-दर निर्धारित करना संभव नहीं था। अतः इस क्षेत्र के लिये ऐसी नीति की आवश्यकता थी जो इन सब समस्याओं को ध्यान में रख कर बनाई

Scanned by CamScanner

गई थी।

ब्रिटिश सरकार की विचारधारा में क्रमशः परिवर्तन आ रहा था। कम्पनी के बढ़े हुए साम्राज्य के खर्चे और अपने देश (इंग्लैंड) के उद्योगीकरण की माँगों को पूरा करने के लिए अधिक भूमिकर से प्राप्त राशि चाहिए थी जो स्थायी बन्दोबस्त द्वारा संभव नहीं था। उधर रिकार्डो (भूमि किराया सिद्धांत) एवं माल्थस (क्लासिकी अर्थशास्त्र) के सिद्धान्त लोकप्रिय होकर 'प्रशासनिक नीति' को प्रभावित करने लगे थे। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य महालवाड़ी पद्धति ने 1819 ई० से 1822 ई० के बीच निश्चित रूप-आकार ग्रहण किया। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ई० में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। होल्ट मैकेंजी जो कमिश्नर बोर्ड का सचिव था, ने अपने पत्र में उत्तरी भारत के ग्रामीण समाजों की ओर ध्यान दिलाकर कुछ सुझाव दिये थे। उसका कहना था कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाये, भूमि पर संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाय, प्रत्येक महाल से कितना कर (Tax) लेना है - यह तय किया जाय तथा प्रत्येक ग्राम से भूमिकर या लंबरदार द्वारा संग्रह करने की व्यवस्था की जाय। इस प्रस्ताव को 1822 ई० के रेगुलेशन-7 (Regulation-7) के द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। जहाँ जमींदार लगान एकत्र करते थे, वहाँ लगान 30% रखा गया; किन्तु उन

Lord Hastings (1813 ई०- 1823 ई०) Governor-General of Bengal

Scanned by CamScanner

क्षेत्रों में जहाँ भूमि ग्राम-समाज की सामूहिक भूमि थी, वहाँ भू-राजस्व विराजा 80% तय कर दिया गया।

बंगाल में भूमि-नीति के मामले में ब्रिटिश सरकार ने संपत्ति संबन्धी अधिकारों को महत्व दिया था। इस प्रकार की नीति इन प्रांतों (स्थानांतरित एवं विजित क्षेत्रों) में नहीं अपनायी गयी, किन्तु यहाँ भी संपत्ति-संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिये होड़-सी लग गयी और जमींदारी पद्धति के सभी लक्षण प्रकट होने लगे। यहाँ लगान-संबंधी निर्णय जल्दबाजी और लापरवाही से लिये गये। अधिकांश समझौतों में लगान-दर गलत अभिलेखों या अपूर्ण सर्वेक्षण के आधार पर तय की गयी तथा इन निर्णयों को कठोरता से लागू किया गया। इस प्रकार, केवल कानपुर क्षेत्र में ही पहले तीन वर्षों के भीतर 238 जमींदारों को अपने भूमि अधिकार से वंचित होना पड़ा।

महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में कई समस्याएँ थीं। भूमि की उत्पादन शक्ति, उसका मूल्य, उसका सर्वेक्षण राजस्व तय करना और भूमि का वर्गीकरण करना आसान काम नहीं था। अधिकांश अधिकारियों ने इन कामों को पूरा करने में असमर्थता प्रकट की। वैसे भी भूमि की उत्पादन-शक्ति कई तत्वों पर निर्भर करती थी, जैसे कि-सिंचाई-सुविधा और भू-स्वामी की उपयोगिता या मेहनत। भूमि के बारे में अभिलेखों से पूर्ण जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं था; क्योंकि ब्रिटिश-शासन के अधीन भूमि के स्वामित्व में लगातार परिवर्तन आ रहे थे।

Scanned by CamScanner

परिणामस्वरूप, 1830 ई० तक महालवाड़ी पद्धति की प्रगति बहुत धीमी रही। कालान्तर में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्टिन बर्ड, जिन्हें उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, के सहयोग से 1833 ई० का रेग्युलेशन-9 (Regulation-9) पारित करवाया। इस अधिनियम के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था के नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये। इसके द्वारा भूमि की उपज एवं भूमि-लगान का अनुमान लगाने की पद्धति सरल बना दी गयी। भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि के लिए अलग-अलग औसत लगान की दर निश्चित की गयी। पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार इस भूमि योजना के अनुसार एक भाग की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था जिसमें खेतों की वास्तविक स्थिति देखी जाती थी। बंजर भूमि तथा उपजाऊ भूमि को स्पष्ट रूप से पंजीकृत किया गया। इसके बाद समस्त भाग और फिर सारे गाँवों की भूमि का सम्पूर्ण कर लगान निर्धारित किया गया। प्रत्येक गाँव या महाल के अधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल समायोजित करने का अधिकार दिया गया। लगान की दर को कम करके 66% कर दिया गया। और यह व्यवस्था 30 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गयी थी। फिर भी, भूमि-कर की दर बहुत ज्यादा तय की गयी थी जिससे किसानों

Scanned by CamScanner

को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। 1855 ई० में पुनः सहारनपुर नियम के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने लगान की दर को 50% निश्चित किया। इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल रहा, परिणामतः 1857 ई० के विद्रोह में इस व्यवस्था से प्रभावित अधिसंख्यक लोगों ने हिस्सा लिया।

महालवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार किये गये जिनमें सिंचाई योजनाओं की शुरुआत एवं महत्वपूर्ण पहल थी, लेकिन सरकार के साम्राज्यवादी स्वरूप होने के कारण इस व्यवस्था के माध्यम से भी किसानों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। महालवाड़ी बन्दोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों की भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गयी। परिणामस्वरूप, वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर किसानों का शोषण करने लगे। महालवाड़ी व्यवस्था का एक अन्य दोष यह भी था कि इसने सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गये। चूंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भू-राजस्व को हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गयी।

By:-
Dr. Rajiv Nayan,
Associate Professor,
Dept. of History,
Jagjiwan College, Ara

Impressions
Scanned by CamScanner